(202)

(96)

राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार विभाग
(सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ)

सूचना का अधिकार

क्रमांक प. 11(1) प्रसु/सुअप्र/2015

जयपुर, दिनांक: 4.7.2016

परिपत्र

राजस्थान सूचना आयोग में अपीलों की सुनवाई के दौरान राज्य लोक सूचना अधिकारियों को उपस्थिति होने हेतु सुनिश्चित कराने के संबंध में मुख्य सचिव महोदय द्वारा परिपत्र क्रमांक प. 11(1) प्रसु/सुअप्र/2015 दिनांक 05.02.2015 जारी कर समस्त लोक प्राधिकारियों को यह निर्देशित किया था कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना आयोग में राज्य लोक सूचना अधिकारी के विनिश्चय के विरूद्ध द्वितीय अपील प्रस्तुत किये जाने के कारण संबंधित राज्य लोक सूचना अधिकारी का दायित्व है कि अपील की सुनवाई के समय आयोग के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखें लेकिन राज्य सूचना आयोग से बार–बार नोटिस जारी होने के उपरान्त भी संबधित राज्य लोक सूचना अधिकारी नियत सुनवाई तिथि पर उपस्थित नहीं होते है जिसके कारण आयोग मे वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने का वास्तविक कारण प्रस्तुत नहीं हो पाता है जिसके फलस्वरूप राजस्थान सूचना आयोग द्वारा संबंधित राज्य लोक सूचना अधिकारी पर शास्ति आधिरोपित कर दी जाती है। इसलिये समस्त लोक प्राधिकारी अपने विभाग में नियुक्त समस्त राज्य लोक सूचना अधिकारियों को सूचना आयोग में अपीलों/परिवादों में सुनवाई के दौरान उपस्थित रहने बाबत् पाबंद करें। प्रत्येक लोक प्राधिकारी अपने विभाग में एक उप सचिव स्तर के अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त कर आयोग से प्राप्त होने वाली अपील नोटिस को संबंधित राज्य लोक सूचना अधिकारी को तामिल कराने की सुदृढ़ व्यवस्था भी स्थापित करावें ताकि आयोग में सुनवाई के दौरान संबंधित राज्य लोक सूचना अधिकारी या उसका प्रतिनिधि उपस्थित रहकर अपना पक्ष प्रबलता से रख सकें।

राज्य सरकार की जानकारी में आया है कि उक्त परिपत्र की पालना समस्त विभागों द्वारा नही की जा रही है। अतः समस्त लोक प्राधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि परिपत्र क्रमांक प. 11(1) प्रसु/सुअप्र/2015 दिनांक 05.02.2015 की पालना सुनिश्चित करावें।

(राकेश वर्मा)
अति. मुख्य सचिव
प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. प्रमुख शासन सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय।
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया।
3. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव को प्रेषित कर लेख है कि अपने अधीनस्थ लोक प्राधिकरण को [illegible] कार्यवाही सुनिश्चित करावें।
4. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
5. पुलिस आयुक्त जयपुर/जोधपुर।
6. समस्त संभागीय आयुक्त/जिला कलक्टर्स/जिला पुलिस अधीक्षक
7. सचिव, राजस्थान सूचना आयोग, जयपुर।
8. रक्षित पत्रावली।

वरिष्ठ शासन उप सचिव